संख्या-490/2017/2404/22-2-2016-17(08)/2016

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 29 जून, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दीनानाथ मिश्रा पुत्र श्री वंशगोपाल मिश्रा निवासी जनपद-देवरिया की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-42941/प्रोबे0-5-द0या0 बैठक-28.10.2016 दिनांक 02.12.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दीनानाथ मिश्रा पुत्र श्री वंशगोपाल मिश्रा, निवासी-ग्राम-बनकटा मिश्रा, थाना-सलेमपुर, जनपद-देवरिया का रहने वाला है। बन्दी द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 24.11.1977 को 03 सहअभियुक्त के साथ मिलकर डबल बैरल गन से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-114/1978 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश, देवरिया के आदेश दिनांक 03.05.1995 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25.11.2014 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 08.10.2016 तक 02 वर्ष 02 माह 09 दिन की अपरिहार सजा तथा 02 वर्ष 05 माह 12 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी के 02 अन्य सहअभियुक्त की मृत्यु तथा 01 अन्य सहअभियुक्त कारागार में सजा भुगत रहा है। पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है लेकिन दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की आयु, कारित अपराध की प्रकृति, काटी गयी सजा के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा सक्षम स्तर पर यह पाया गया कि 01 सहअभियुक्त अभी जेल में है तथा समिति द्वारा रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। अत: समय से पूर्व रिहाई का औचित्य स्थापित नहीं होता है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी दीनानाथ मिश्रा (बन्दी संख्या-160/2015) पुत्र श्री वंशगोपाल मिश्रा, निवासी-जनपद-देवरिया की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-490/2017/2404/(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, देवरिया।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in